न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 15/135

1. लेखराज पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति मीणा निवासी कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. घनश्याम पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति मीणा निवासी कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. श्रीमती गीता बाई धर्मपत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति मीण निवासी कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—–अपीलान्ट

बनाम

1. रामनारायण पुत्र परमानन्द जाति मीणा निवासी कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री मोहन मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांक: 16.02.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.02.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 328 की 15 बीघा 09 बिस्वाएवं खसरा नम्बर 345 की 02 बीघा कुल 17 बीघा 09 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के दादा परमानन्द जी की पहली पत्नी से तीन संतान शांतिबाई, पार्वतीबाई और चिंरोजीलाल पैदा हुए । चिरोंजी लाल की बाल्यावस्था में ही परमानन्द ने उसके नाम पर वादग्रस्त आराजी कय की और चिरोंजी लाल के खाते दर्ज करवा दी । चिरोंजीलाल की मृत्यु परमानन्द जी के जीवनकाल में ही नाबालिग अवस्था में अविवाहित हो गई तब परिवार में परमानन्द जी के कोई पुत्र न रहने के कारण उन्होंने दूसरा विवाह किया तथा दूसरी पत्नी से प्रतिवादी कम 1, वादीगण के पिता एवं पति राजेन्द्र प्रसाद तथा दो पुत्रियॉ ललिता और धापू का जन्म हुआ । पक्षकारान मीणा जाति से हैं जिनके लि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी को प्रतिवादीगण क्रम 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार मृतक चिरोंजीलाल के स्थान पर वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 सहखातेदार दर्ज किया जाकर उसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 अंकित किया जावे । प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण को विवादित आराजी जिसका विभाजन मृतक राजेन्द्र प्रसाद एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य राजेन्द्र प्रसाद के जीवनकाल में ही कर दिया गया था के अनुसार दक्षिणी भाग पर काश्त में कोई बाधा न तो प्रतिवादी क्रम 1 उत्पन्न करे और न ही ऐसा कोई कार्य अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावे । वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात के दक्षिणी भाग पर पूर्ववत शांतिपूर्वक काश्त करते रहने दे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2015 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 की आपत्तियॉ एवं दावा वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट के दादा द्वारा बाल्याकाल में चिंरोजी लाल के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि का क्रय किया था और क्रय के अनुसार चिरोंजी लाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज किया गया । चिरोंजी लाल बाल्याकाल में लाऔलाद फौत हो गया था जिसके कारण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 एक मात्र रूप से चिरोंजी लाल की कृषि भूमि के मालिक हैं । इस कारण से वादग्रस्त आराजी का अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना चाहिए था । उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2015 निरसत फरमाया जावे एवं वादपत्र की सहायता अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जावे विकल्प में अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः दस्तावेजी साक्ष्यों पर विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

...ने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी चिरोंजीलाल पुत्र परमानन्द जाति मीणा के नाम खातेदारी में दर्ज है । प्रतिवादी कम 1 रेस्पोडेन्ट परमानन्द का पुत्र है । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट ने किसी भी साक्ष्य एंव दस्तावेज से प्रमाणित नहीं करवाया है कि चिरोंजीलाल पुत्र परमानन्द की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र आदि भी प्रस्तुत नहीं किया है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान मीणा जाति के सदस्य हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते हैं । अनुसूचित जनजाति में पुरूष उत्तराधिकारी की मौजूदगी में स्त्री उत्तराधिकारी को कोई हक प्राप्त नहीं होते हैं । मृतक परमानन्द के वर्तमान में दो उत्तराधिकारी हैं 1. रामनारायण जो कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 है तथा दूसरे राजेन्द्र प्रसाद । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा चिरोंजी लाल की मृत्यु होने के सम्बन्ध में कोई मृत्यु प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया है इसी प्रकार पुरूषोत्तम के सम्बन्ध में भी कोई प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया है । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में और न ही अपील स्तर पर अपने कथनों को साबित नहीं किया है ।

11. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एंव डिकी पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं 27.02.2015 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 16.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15 / 135

1. लेखराज पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति मीणा निवासी कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. घनश्याम पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति मीणा निवासी कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. श्रीमती गीता बाई धर्मपत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति मीण निवासी कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र परमानन्द जाति मीणा निवासी कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 60 / दावा / 2009

1. लेखराज पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति मीणा निवासी कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. घनश्याम पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति मीणा निवासी कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

3. श्रीमती गीता बाई धर्मपत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति मीण निवासी कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र परमानन्द जाति मीणा निवासी कुदायला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा . के निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.02.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री मोहन मालव एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं 27.02.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिकी आज तारीख 16.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा